

m-648  
2/10/04  
9/10/05

R-11448  
2/10/04 को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2004/कार्तिक 5, 1926

No. 472]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2004/KARTIKA 5, 1926 प्रभारी

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 706(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2004 है ।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-  
(क) खंड (घ) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) जिसने इन नियमों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम की आयु प्राप्त कर ली है और जो अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त करने की तारीख के एक मास के भीतर खाता खोल लिया जाता है और वह ऐसे सेवानिवृत्ति फायदे (फायदों) के संवितरण की तारीख का साक्ष्य तथा नियोजक से अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति के तथ्य, सेवानिवृत्ति फायदों, धारित नियोजन और नियोजक के साथ ऐसे नियोजन की अवधि को उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्ररूप-क में आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करता है :

परंतु ऐसे व्यक्ति भी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व किसी समय सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्होंने इन नियमों के अधीन खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, स्कीम के अधीन इस अधिसूचना की तारीख के एक मास की अवधि के भीतर, अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, अभिदाय करने के पात्र होंगे :

परन्तु यह और कि रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिक (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के अलावा), उपरोक्त आयु सीमाओं के होते हुए भी, अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उक्त स्कीम के अधीन अभिदाय करने के पात्र होंगे।”;

(ख) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ड) “जमा कार्यालय” से,-

(i) भारत में ऐसा कोई डाकघर अभिप्रेत है जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है और इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए महानिदेशक डाक द्वारा प्राधिकृत है, या

(ii) किसी बैंककारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी या संस्था का ऐसा कोई कार्यालय या शाखा अभिप्रेत है जो लोक भविष्य निधि स्कीम के अधीन अभिदाय प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत है।’

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘परंतु नियम 2 के उपनियम (ii) के अधीन जमाकर्ताओं द्वारा जमा उन्हें प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदों या पंद्रह लाख रुपयों तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित होंगे।

**स्पष्टीकरण :-** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “सेवानिवृत्ति फायदों” से जमाकर्ता को सेवानिवृत्ति भेदे चाहे ऐसी सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता पर हुई हो या अन्यथा, देय कोई संदाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत भविष्य निधि देय, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का सारांशित मूल्य, छुट्टियों के समतुल्य धनराशि, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को नियोजक द्वारा संदेय समूह बचत से संबद्ध बीमा स्कीम की बचत अंश, कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति-सह-आहरण फायदे और स्वेच्छा या सेवानिवृत्ति या विशेष स्वेच्छा या सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदाय भी हैं।’

4. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (4) में, “जमा की अधिकतम सीमा” शब्दों के स्थान पर, “अतिशेष की अधिकतम सीमा” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (3) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जहां पति-पत्नी दोनों ने स्कीम के अधीन अलग खाते खोले हैं और पति-पत्नी में से किसी एक की स्कीम के अधीन खाते(खातों) के जारी रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत जमाकर्ता/पति या पत्नी के नाम में खोले गए खाते(खातों) को पहले परंतुक के अनुसार जारी नहीं रखा जाएगा और ऐसे खाते बंद कर दिए जाएंगे।”

6. उक्त नियमों के प्ररूप-क में,-

(i) पैरा 2 के उपपैरा (iv) में, “ उपनियम (8)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “ उपनियम (7)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 3 के नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ सारणी

क्रम सं.	नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशितियों के) नाम और जमाकर्ता के साथ नातेदारी:	स्थाई पता	अव्ययक की दशा में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की जन्मतिथि (जन्मतिथियां)/अन्य की दशा में आयु	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का अंश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के फोटो	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान
(6)	(7)” ।

7. उक्त नियमों के प्ररूप-ग में पैरा 1 के नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ सारणी

क्रम सं.	नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशितियों के) नाम और जमाकर्ता के साथ नातेदारी	स्थाई पता	अव्ययक की दशा में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की जन्मतिथि (जन्मतिथियां)/अन्य की दशा में आयु	संदेय रकम में नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का अंश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के फोटो	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(6)	(7)” ।

8. उक्त नियमों के प्ररूप-(ख) में, रसीद शीर्षक के अधीन, “ जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान” शब्दों के नीचे, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ जमाकार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम की मुहर सहित)” ।

9. उक्त नियमों के प्ररूप-(घ) में, रसीद पर दावेदार (दावेदारों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं शीर्षक के अधीन, “ दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान” शब्दों के नीचे, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ जमाकार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर  
(नाम और पदनाम की मुहर सहित)” ।

[ फा. सं. 2-8/2004-एनएस-II ]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

**टिप्पण :**— वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 27th October, 2004

**G.S.R. 706(E).**— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the Senior Citizens Savings Scheme(Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004(hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(a) in clause (d), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(ii) who has attained the age of 55 years or more but less than 60 years, and who has retired on superannuation or otherwise on the date of opening of an account under these rules, subject to the condition that the account is opened by such individual within one month of the date of receipt of the retirement benefits and proof of date of disbursement of such retirement benefit(s) alongwith a certificate from the employer indicating the fact of retirement on superannuation or otherwise, retirement benefits, employment held and period of such employment with the employer is attached with the application form in

**Form-A:**

Provided that the persons who have retired at any time before the commencement of these rules and attained the age of 55 years or more on the date of opening of an account under these rules, shall also be eligible to subscribe under the scheme within a period of one month of the date of this notification, subject to the fulfilment of other specified conditions:

Provided further that the retired personnel of Defence Services (excluding Civilian Defence Employees) shall be eligible to subscribe under the scheme irrespective of the above age limits subject to the fulfilment of other specified conditions.”;

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

**'(e) "Deposit Office" means,-**

- (i) any post office in India doing savings bank work and authorised by Director General Posts, to open an account under these rules, or
- (ii) an office or branch of a banking company, or any other company or institution, authorised by the Central Government to receive subscriptions under the Public Provident Fund Scheme.'

3. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (1), the following shall be inserted at the end, namely:-

'Provided that deposits by depositors under sub-rule (ii) of rule 2, shall be restricted to the retirement benefits received by them or rupees fifteen lakh, whichever is lower.

**Explanation:-** For the purposes of this sub-rule, "retirement benefits" means any payment due to the depositor on account of retirement whether on superannuation or otherwise and includes Provident Fund dues, retirement/superannuation gratuity, commuted value of pension, cash equivalent of leave, savings element of Group Savings linked Insurance Scheme payable by employer to the employee on retirement, retirement-cum-withdrawal benefit under the Employees' Family Pension Scheme and ex-gratia payments under a voluntary retirement or a special voluntary retirement scheme.'

4. In rule 7 of the said rules, in sub-rule (4); for the words "limit of deposits" the words "limit of balance" shall be substituted.

5. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"**Provided** also that where both the spouses have opened separate accounts under the scheme, and either of the spouses dies during the currency of the account(s) under the scheme, the account(s) standing in the name of the deceased depositor/spouse shall not be continued in accordance with the first proviso and such accounts shall be closed."

6. In **Form-A** of the said rules,-

- (i) in paragraph 2, in sub-paragraph (iv), for the word, brackets and figure "sub-rule (8)", the word, brackets and figure "sub-rule (7)" shall be substituted;

- (ii) for the person/persons mentioned below paragraph 3, the following shall be substituted, namely:-

**"TABLE**

Sl. No.	Name(s) of the nominee(s) alongwith relationship with the depositor	Permanent Address	Date(s) of birth of nominee(s) in case of a minor/ age in other case(s)	Share of the nominee(s) in the amount payable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Photograph(s) of the nominee(s)	Signature/thumb impression of the nominee(s)
(6)	(7)''.

7. In **Form-C** of the said rules, for the person/persons mentioned below paragraph 1, the following shall be substituted, namely:-

**"TABLE**

Sl. No.	Name(s) of the nominee(s) alongwith relationship with the depositor	Permanent Address	Date(s) of birth of nominee(s) in case of a minor/ age in other case(s)	Share of the nominee(s) in the amount payable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Photograph(s) of the nominee(s)	Signature/thumb impression of the nominee(s)
(6)	(7)".

8. In **Form-E** of the said rules, under the heading **RECEIPT**, below the words "Signature/Thumb impression of the Depositor", the following shall be inserted, namely:-

"Signature of in-charge of Deposit Office  
(Alongwith name and designation stamp)".

9. In **Form-F** of the said rules, under the heading **RECEIPT TO BE SIGNED BY THE CLAIMANT(S)**, below the words "Signature/Thumb impression of the Claimant(s)", the following shall be inserted, namely:-

"Signature of in-charge of Deposit Office  
(Alongwith name and designation stamp)".

[F.No. 2-8/2004-NS-II]

P. C. SINGH, Under Secy.

**Note** :—The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide notification number G.S.R. 490(E) dated the 2nd August, 2004.